न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 129 / 2022

प्रार्थी :–

1. गोबराराम पुत्र जीवाराम
जाति मेगवाल निवासी मगाघी मेघवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर हैसियत मुख्त्यार आम श्री वगताराम पुत्र तेजारिम जाति कुम्हार निवासी जसवंतनगर (रतनपुरा) तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. बाबूराम पुत्र मुकनाराम
2. मोबताराम पुत्र सालूराम
जाति मेघवाल निवासी मगाघी मेघवालों की ढाणी (रतनपुरा) तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण – एकतरफा

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.09.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वतः 2072–2075 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 570 / 343 रकबा 0.3399 हैक्टेयर किस्म बा.सो. का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी [illegible] पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में [illegible] विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्की नेखम स्थापित [illegible] में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति मे विवादित खसरा सरहद मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 570/343 रकबा 0.3399 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/9/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:52 IST
Reason: SelfAttested